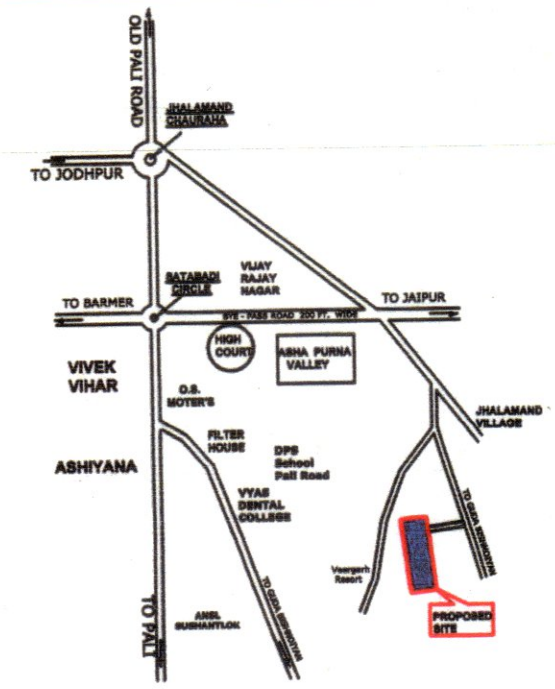


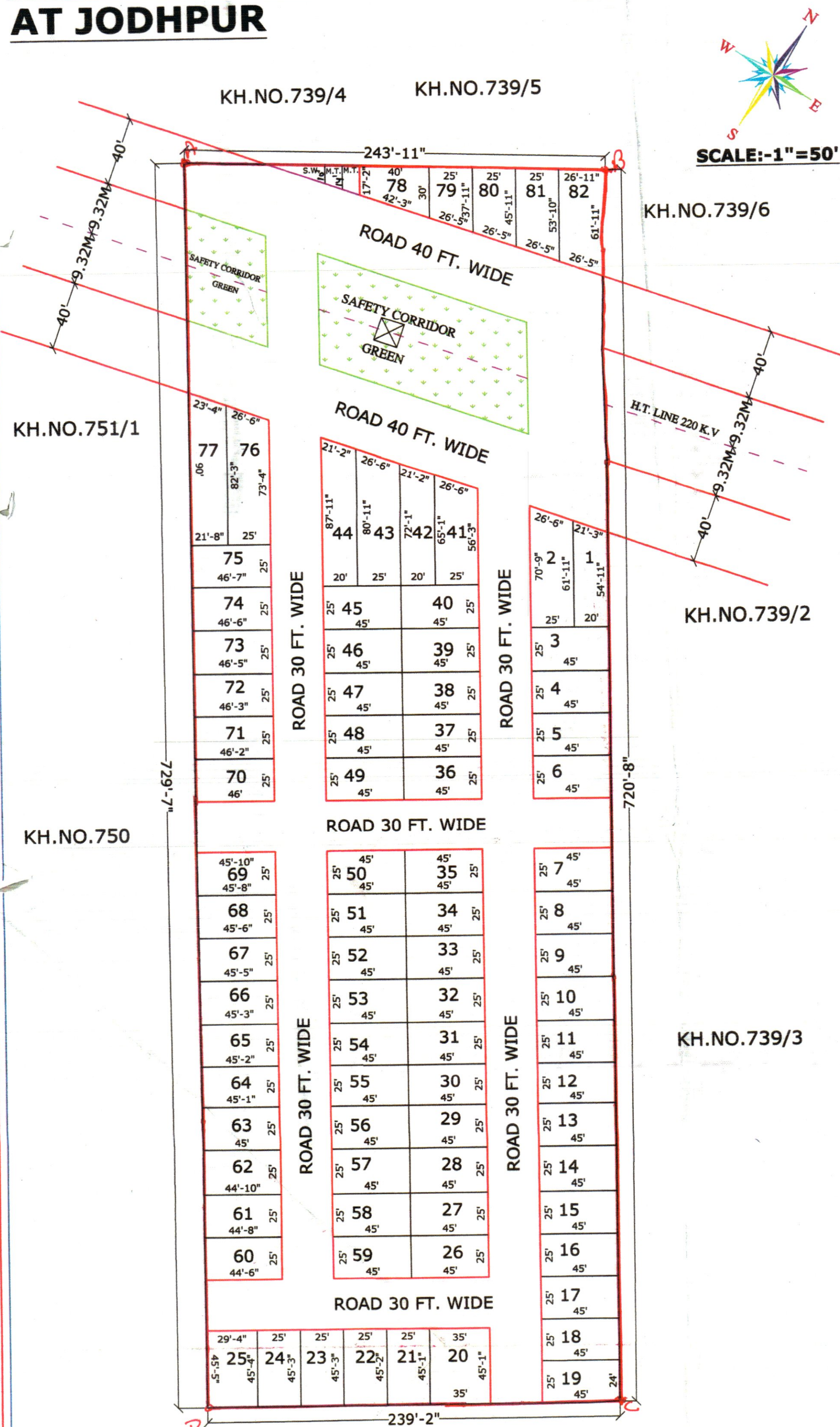
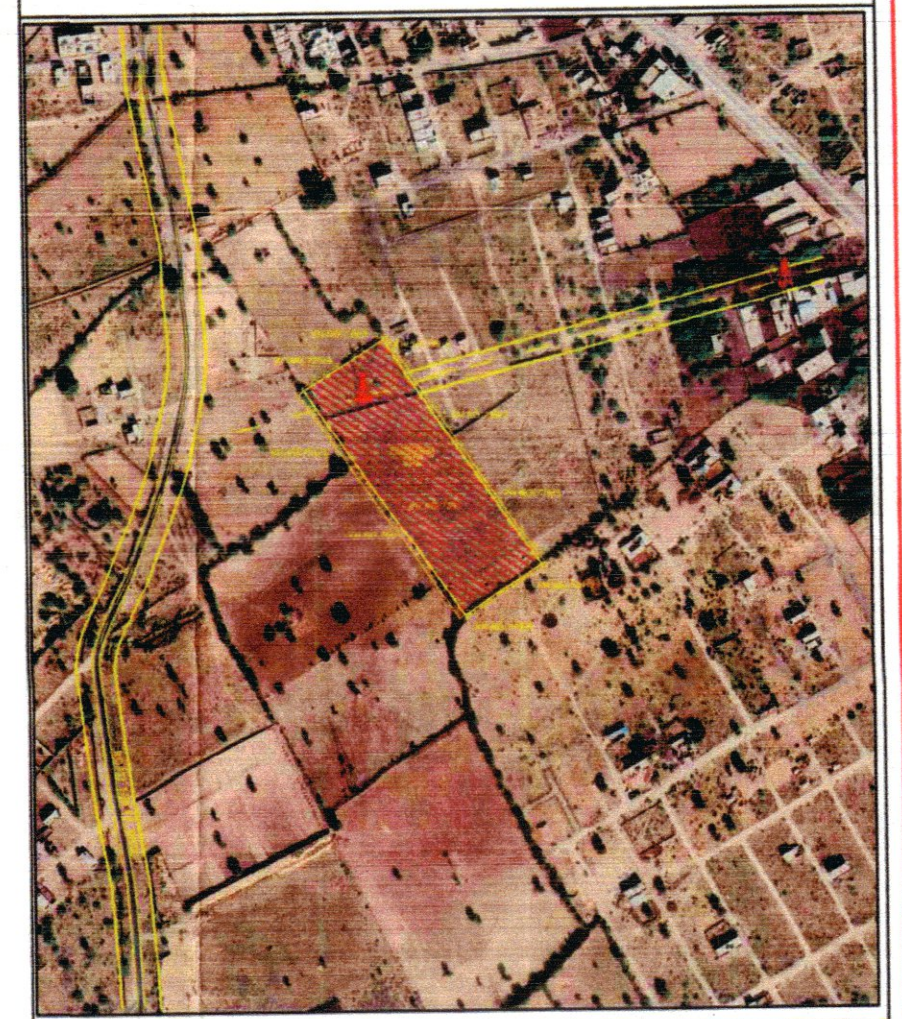
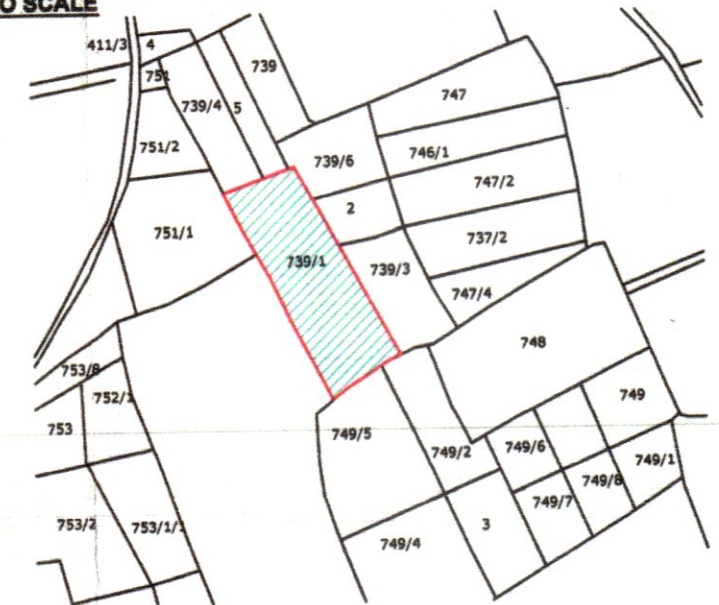
LAND USES ANALYSIS

LOTS	AREA in Sq.yd.	AREA OF %
TOTAL PLOT AREA	10805.36	55.67 % ✓
PARK AREA	1203.49	06.20 % ✓
M.T./S.W.D. AREA	51.37	00.27 % ✓
ROAD AREA	7348.18	37.86 % ✓
TOTAL SCHEME AREA	19408.40	100.00 % ✓
Area in Bigha = 10 Bigha , 10 Bishwanshi		

KEY PLAN



KHASRA MAP
NOT TO SCALE



पि. जावेद न कर्माक (40201/803) 23-24/10/2018

दिनांक 10/10/23 में नियुक्त सहायक नवीद ()

(2) को आदेश दिनांक 21/10/23 की पालना में राजस्थान प्रांत 21/10/23 को खसरा नम्बर 73911 जिला 10-10-23 के प्रत्यक्ष से आदेश प्राप्त को पदवी हल्का 21/10/23 द्वारा जारी प्रमाणित पत्रा 235 क्रमांक 119 दिनांक 21/10/23 से मिलान कर सीमाओं को लाइ स्टाडी से मार्ग A से 23 किया जाकर सुपर इन्पोज/नैतिक सत्यापन किया गया।

दिनांक 22/9/23 निरीक्षक (प्रा.)

एजेन्डा संख्या 03 :- बैठक विनंक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन-2	ब्रालामण्ड	739 / 1	16227 वर्गमीटर	आवासीय योजना
विषय:- आवेक	श्री शंकरलाल पुन्र श्री कुममाण्डा राजस्व ग्राम ब्रालामण्ड को खसरा संख्या 739/ 1 रकबा 16227 वर्गमीटर में 16227 वर्गमीटर आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमतिदाता बावत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा प्रस्ताव पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ से-आउट प्लान अनुमतिदाता विषे जाने का निर्णय लिया गया:- 01. अधिभूति भूमि को 40 जेरी अक्षेत्र बनाई उपर्युक्त हो रहा है। विपक्षी सुविधितता जोन स्तर पर की जावे वरन् उपर स्तर की सुविधितता उपर्युक्त की से-आउट प्लान जारी किया जाय। 02. अधिभूति भूमि में से पुनर्र री एच.टी.आई.न की क्षमता व दुर्घी की रिपोर्ट प्राप्त कर निम्नानुसार सेप्टी कॉरिडोर का प्रावधान किया जाय। 03. ररा अधिभूति 2017 के तहत राजस्वना रिपल एस्टेट रेगुलैटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा विनंक 14.03.2023 एव इस संकेत में समय समय पर जावे को अनुसर निजी खातेद्वारा की जावे। विपक्षी की उता प्लॉटड जेनरेशन (प्लानडजनेशन) समझवयवउपपदवत छावरवण्ड) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेश में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अधिवार है ए एन की सुविधितता जोन उपयुक्तता द्वारा की जावे। 04. योजना का क्षेत्रफल 2 ठो से कम है अतः नभियथ में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि प ओवरहेड टावर कार्य का निर्माण विषेय विषय में जोन उपयुक्तता व निदेशक अधिवायित्री की स्वीकृति प्राप्त किया जा संकेत। 05. निम्नानुसार आन्तरिक विकास कार्य की एवज में विषय योय क्षेत्रफल को 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन रर जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य एवं जोन की सुविधितता के उपरान्त ररन् भूमि किया जावेग। 06. मुख्यमन्त्री द्वारा अक्टोबर 2015 के प्रभावानुसार एव निम्नानुसार एव समस्त देश राशि जोन पर ररन् की जावे उतत परवर्तित भूमि से समवन्त वरन् राजस्व श्रान्तिक, बाद आवारि, एव मासिमाना हक की समस्त ररवृद्धि की जावे की स्वयं की होगी। प्रमर्त से इत बावत ररन् ररिया जावे कि परमार्त भूमि पर कोई विवाद नही है और ना न्यायमय में कोई विवाद लभित है। इत बावत योय स्तर पर गमय-पुन्र जेनर री पट्टा जारी किया जाय। 07. परवर्तित भूमि पर निर्माण कार्य करवने से पूर्व प्रवर्तित यवन विभिन्न अनुसर जोखपूर विकास प्राधिकरण से भवन मानवि अनुमोदित करवाने होगं। 08. राज्य सरकार द्वारा दिनिंक 10.08.2020 की जारी अधिसूचना अनुसार निम्नानुसार मोबाइल टावर एव टावर ककरा ररवर्तित स्थल का प्राधान्य किया जावे।				

Kumawat Survey & Planning Services
66, Laxmi Vihar, Madhuban Housing Board, Jodhpur
Reg.No.C.T.P. RAJ/NAGAR MITRA 2021 (861) 670

Rajkaj No:- 07150

3/2/24
उपायुक्त (जोन-2)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर